

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.3(ख)बी-1050/2013/अलेसे-III/ 801

दिनांक :- 14.09.23

कार्यालय आदेश

श्री भेमाराम पुत्र श्री सोनाराम, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नं. 12785) कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जालोर जिनकी जन्म तिथि 15.09.1991 है, ने अपने विभाग के पत्रांक 2086 दिनांक 03.03.2023 के द्वारा अपना नाम 'भेमाराम' से परिवर्तित कर 'भास्कर परिहार' करने का आवेदन किया है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8(क) के निर्णय 5 के अनुसार राजस्थान राजपत्र (गजट) के साधारण अंक 40 भाग संख्या 07 जिल्द 74 के पृष्ठ संख्या 5725 दिनांक 05.01.2023 में प्रकाशित बंधपत्र एवं समाचार पत्र 'राजस्थान पत्रिका' जालोर संस्करण के दिनांक 08.12.2022 के अंक में प्रकाशित सूचना के आधार पर इनका परिवर्तित नाम 'भास्कर परिहार' विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह आदेश निदेशक महोदय से अनुमोदित है।


अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक : एफ.3(ख)बी-1050/2013/अलेसे-III/ 801

दिनांक :- 14.09.23

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जालोर।
2. कोषाधिकारी, जालोर।
3. अतिरिक्त निदेशक (डी.पी.सी. अनुभाग/ ए.सी.आर. अनुभाग)।
4. उप निदेशक/ए.सी.पी.(कम्प्यूटर अनुभाग)।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
6. श्री भास्कर परिहार (पूर्व नाम भेमाराम), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नं. 12785) कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जालोर।
7. श्री तुलसी राम चौहान, सहायक निदेशक/ श्री राजेन्द्र शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II/ श्रीमती रितु अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को निर्देशित कार्यवाही हेतु।
8. पदस्थापन सीट/ निजी /रक्षित पत्रावली।


सहायक निदेशक